पात्रता मापदंड:-

1- रजिस्टर्ड चार्टेड अकाउंटेंट फर्म जिसे राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंकों में सांविधिक ऑडिट/समवर्ती आडिट का 5 वर्ष का अनुभव हो एवं फर्म का मुख्यालय/ शाखा कार्यालय 5 वर्ष से उत्तराखंड में स्थित हो |

2- फर्म में कम से कम 2 पूर्णकालिक चार्टेड एकाउंटेंट होने चाहिए।

3- बी0आर0एक्ट, आरबीआई, नाबार्ड, निबंधक सहकारी समितियां, आयकर अधिनियम, वस्तु एवं सेवा कर के नियमों एवं अधिनियमों की अच्छी समझ रखता हो |

4- फर्म कम से कम 2 पार्टनर के पास DISA योग्यता प्रमाणपत्र हो साथ ही फर्म में कंप्यूटराइज्ड सीबीएस शाखाओं में ऑडिट की जानकारी रखने वाले कार्मिकों की पर्याप्त मात्रा हो |

5- फर्म CAG पैनल में शामिल हो |

6- फर्म के पास RBI UNIQUE CODE होना चाहिए।

नियम एवं शर्तें

1. सील बन्द निविदा बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित तिथि तक दस्ती / पंजीकृत डाक द्वारा उधमसिंह नगर डि0 को बैंक लि0, मुख्यालय -रुद्रपुर को 14-07-2025 को सायं 5 बजे तक प्रेषित की जा सकती है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. निविदा दाता को निविदा प्रपत्र को पूर्ण रुप से भरना आवश्यक है। अपूर्ण निविदा प्रपत्र निरस्त समझा जायेगा।

3. फर्म का पंजीकरण से सम्बन्धित प्रपत्र, जी0एस0टी0 नम्बर, पैन नम्बर तथा फर्म के पता सम्बन्धी प्रपत्र की स्व-प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

4. फर्म के कम से कम 02 स्टाफ एक शाखा में ऑडिट कार्य के लिये उपलब्ध हो।

5. समवर्ती आडिट हेतु भुगतान बैंक द्वारा तिमाही आधार पर किया जाएगा। समवर्ती आडिट हेतु पृथक से TA / DA का भुगतान नहीं किया जायेगा।

6. समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट तिमाही समाप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत की जानी होगी। विलम्ब होने पर बैंक निर्णय लेने हेतु स्वतन्त्र होगा।

7. समवर्ती ऑडिट रिपोर्ट बैंक को दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

8. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है।

9. प्राप्त समस्त सीलबन्द निविदायें दिनांक 15-07.2025 को पूर्वाहन 11.30 बजे इस प्रयोजन हेतु गठित कमेटी के समक्ष खोली जायेंगी। निविदादाता फार्म के प्रतिनिधि निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित रह सकते हैं।

10. बिना कारण बताये किसी भी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बैंक द्वारा गठित कमेटी को सुरक्षित रहेगा।

11. उक्त सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं नियमावली 2004 के तहत निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड को सन्दर्भित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं उभय पक्षों को मान्य होगा।

12. समवर्ती लेखा परीक्षा कार्यकाल में समवर्ती लेखा परीक्षक के तौर पर पूरे वर्ष में प्रमाणित होने वाले प्रमाणपत्र भी प्रमाणित करने होंगे जिसका पृथक से चार्ज देय नहीं होगा।

उक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार्य है।

सचिव / महाप्रबन्धक

सीलबन्द निविदादाता के हस्ताक्षर (मोहर सहित)